Starred Assembly Question No. 49

State Level Vigilance And Monitoring Committee.

*49 SH. VARUN CHAUDHRY (MULLANA): Will the Hon'ble Chief Minister be pleased to state:-

(a) The reasons for not regularly calling the meetings of the State Level Vigilance and Monitoring Committee constituted under Rule 16 of SC/ST (Prevention of Atrocities) Rules 1995.

Reply:- **Sh. Manohar Lal, Chief Minister, Haryana**

According to the provision of Rule 16 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Rules, 1995, to review the implementation of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 in the state, the committee was constituted under the chairmanship of the Chief Minister vide notification dated 20.09.2006. As per past practice the meetings of the State Level Vigilance and Monitoring Committee have been convened once in a year. The meetings in the present tenure of Government were convened on 07.02.2020, 25.06.2021 and 07.04.2022.

Chief Minister has authorized Home Minister, Haryana to hold the next meeting. Home Minister, Haryana has directed to hold the next meeting on 22.12.2023 at 3.00 pm.

तारांकित विधानसभा प्रश्न संख्या 49

राज्य स्तरीय सर्तकता एवं निगरानी कमेटी की बैठक करवाने बारे।

*49 श्री वरूण चौधरी (मुलाना):- क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि एस.सी/एस.टी. (अत्याचार निवारण) नियम 1995 के नियम 16 के अंतर्गत गठित राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठकें नियमित रूप से न बुलाने के कारण क्या हैं?

जवाबः. श्री मनोहर लाल, मुख्यमंत्री, हरियाणा सरकार

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के नियम 16 के प्रावधान अनुसार राज्य में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की परिपालना की समीक्षा हेतु मुख्यमंत्री, हरियाणा की अध्यक्षता में कमेटी का गठन अधिसूचना दिनांक 20.09.2006 को किया गया । पूर्व प्रचलन अनुसार राज्य स्तरीय सर्तकता एवं निगरानी कमेटी की बैठकें वर्ष में एक बार करवाई जाती रही है। सरकार के वर्तमान कार्यकाल में दिनांक 07.02.2020, 25.06.2021 तथा 07.04.2022 को बैठकें करवाई गई ।

मुख्य मंत्री द्वारा गृह मंत्री, हरियाणा को अगली बैठक करवाने हेतु अधीकृत किया गया है। गृह मंत्री, हरियाणा द्वारा अगली बैठक दिनांक 22.12.2023 को सांय 3.00 बजे करवाने बारे निर्देश दिए गए है।